



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2016 / 00058

दर्ज तिथि:-13.04.2016

1. केशाराम पुत्र मोडाराम
2. राउराम पुत्र मोडाराम
3. भोमाराम पुत्र मोडाराम
4. मोहनराम पुत्र मोडाराम
5. भारूराम पुत्र मोडाराम
6. गोसाईराम पुत्र मोडाराम
7. नोजी पत्नी मोडाराम
8. जूंजाराम पुत्र मोडाराम के कायम मुकाम  
8/1 पदमाराम पुत्र जूंजाराम  
8/2 चुतराराम पुत्र जूंजाराम
9. फगलूराम पुत्र जोराराम  
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

1. देवाराम पुत्र फुआराम
2. वालाराम पुत्र फुआराम
3. चैनाराम पुत्र फुआराम
4. नथू पत्नी फुआराम
5. डुंगरा पुत्र आदुराम  
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
7. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता  
वादी:-श्री रामजीवन विश्नोई  
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188  
राजजस्थान काश्त0 अधि0-1955



**—:निर्णय:—**

निर्णय तिथि:-26.05.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर पटवार हल्का बांटा तहसील गुडामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 83 एवं 84 मौजा बांटाडेर तहसील गुडामालानी अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर वादीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परंतु प्रतिवादीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य स्थित माठ को तोड़कर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। इस हेतु प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत होने पर वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-06 नियम-17 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 वास्ते वाद में संशोधन का पेश किया गया। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में घुसकर करीब 07 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये 07 बीघा भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 जरिये असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की गई है। इस कारण वादकारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से

काबिल-ए-खारिज है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 एवं 05 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 84/38.19 बीघा आराजी पर वादीगण दखलअंदाजी करते रहते हैं। अतः वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 एवं 05 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 84/38.19 बीघा में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत होने पर वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-06 नियम-17 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 का प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने पर वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त संशोधित वाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

| प्रदर्श | दस्तावेज   | दिनांक/सम्बत                            |
|---------|--|---|
| 1.      | खाता संख्या 49 जमाबंदी वाके ग्राम बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी | अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2070-73 जमाबंदी |
| 2.      | राजस्व नक्शा खसरा संख्या 85, 86                              | मौजा बांटाडेर                           |
| 3.      | खाता संख्या 35 जमाबंदी वाके ग्राम बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी | अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2070-73 जमाबंदी |
| 4.      | राजस्व नक्शा खसरा संख्या 84,                                 | मौजा बांटाडेर                           |
| 5.      | नक्शा  | मौजा बांटा                              |

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

| क्र.स.       | नाम मय वल्दीयत                | निवासी                     |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| पी.डब्ल्यू-1 | राउराम पुत्र मोडाराम जाति जाट | बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी |

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर करीब 07 बीघ भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इश्तहुआ वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर

प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम उक्त इशतद्दुआ के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**183. Ejection of certain trespasser—**

*(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejection, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*

*(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या-05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 83 एवं 84 मौजा बांटाडेर अवस्थित हैं।
8. प्रकरण में वादीगण अनुसार दौरान-ए-दावा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पी0डब्ल्यू0-01 राउराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी बांटाडेर द्वारा मुख्य परीक्षण में शपथपूर्वक बयान करते हुए कथन किया है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी मौजा

बांटाडेर में खेत खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा है। जिसके पड़ोस में प्रतिवादी के खेत खसरा संख्या 83 व 84 आये हुए हैं। सेटलमेंट से पूर्व अलग-अलग खातेदारी होने से वादीगण का खेत व प्रतिवादीगण के मध्य बड़ी-बड़ी माठें स्थित हैं। जिसको प्रतिवादी द्वारा सेढे तोड़ने पर यह दावा पेश किया है। दौराने दावा वादीगण की 07 बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण ने सेढा तोड़कर कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण को वादी की जमीन में 07 बीघा में से बेदखल करने व कब्जा प्राप्ति तक प्रतिवर्ष प्रति बीघा 1000 रुपये के हिसाब से मूल्यांकन कर दिलाने व 20000 रुपये दिलाने का दावा पेश किया है।

10. प्रकरण में प्रदर्श संख्या-01 ता प्रदर्श संख्या-05 के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 83 एवं 84 मौजा बांटाडेर आपस में सेड़े-सेढ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में केवल पी0डब्ल्यू0-01 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का आंशिक अवैध कब्जा करार देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जे को अवैध घोषित करने से पूर्व वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान करवाना अनिवार्य शर्त है।

11. इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

(44) "*Trespasser*" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

7. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया होने के संबंध में वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम इश्तहुआ को साबित करने में के संबंध में वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान करने के पश्चात् यदि वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रदर्शित होता है, तो उक्त कब्जा अवैध मानना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम इश्तहुआ वादीगण के पक्ष में अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् यदि वादीगण की खातेदारी

आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रदर्शित होता है, तो उक्त कब्जा अवैध मानने की शर्त के साथ स्वीकार की जाती है।

8. प्रकरण में द्वितीय इश्तहुआ वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय इश्तहुआ को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

| परिस्थिति | विवरण   |
|-----------|---|
| 1.        | जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।    |
| 2.        | जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।    |
| 3.        | जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी। |
| 4.        | जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।   |

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता

है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

14. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

| परिस्थिति | विवरण   | विश्लेषण   |
|-----------|---|--|
| 1.        | जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।    | 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।                    |
| 1.        | जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।    | 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।<br>अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। |
| 2.        | जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी। |  |
| 3.        | जब निषेधाज्ञा   | 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा  |

|  |   |
|--|---|
| <p>राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।</p> | <p>संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।</p> <p>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</p> |
|--|---|

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय अनुतोष को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय अनुतोष वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। अतः

**आदेश है कि**

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा,

85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी-केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2016 / 00058

दर्ज तिथि:-13.04.2016

1. केशाराम पुत्र मोडाराम
2. राउराम पुत्र मोडाराम
3. भोमाराम पुत्र मोडाराम
4. मोहनराम पुत्र मोडाराम
5. भारूराम पुत्र मोडाराम
6. गोसाईराम पुत्र मोडाराम
7. नोजी पत्नी मोडाराम
8. जूंजाराम पुत्र मोडाराम के कायम मुकाम  
8/1 पदमाराम पुत्र जूंजाराम  
8/2 चुतराराम पुत्र जूंजाराम
9. फगलूराम पुत्र जोराराम  
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

1. देवाराम पुत्र फुआराम
2. वालाराम पुत्र फुआराम
3. चैनाराम पुत्र फुआराम
4. नथू पत्नी फुआराम
5. डुंगरा पुत्र आदुराम  
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
7. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता  
वादी:-श्री रामजीवन विश्नोई  
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188  
राजजस्थान काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 86/54.15 बीघा, 85/0.04 बीघा मौजा बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी-बाड़मेर